

R.L.RD/12/2020
28/07/2020

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका संख्या-5/स0भू0 (लातेहार)-01/2010...../रा0

दिनांक-.....

:: संकल्प ::

विषय:- क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) सहित के सशुल्क स्थायी हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने से संबंधित संकल्प सं0-2648/रा., दिनांक-18.07.2019 को रद्द करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-2648, दिनांक-18.07.2019 द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को विभागीय परिपत्र संख्या-5888, दिनांक-10.11.16 की कंडिका-7 (ii) को संशोधित करते हुए राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया गया था।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-22.07.2020 में मद संख्या-32 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों/निकायों तथा विभिन्न निजी कम्पनियों, निगम, बोर्ड आदि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत क्षतिपूरक वनरोपण कार्य हेतु सरकारी भूमि/गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि को राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण करने से संबंधित संकल्प सं-2648/रा0, दिनांक-18.07.2019 द्वारा प्रत्यायोजित उपायुक्त की शक्ति को रद्द किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव


कृ०पृ०उ०



ज्ञापांक :- 5/स0भू0 (लातेहार)-01/2010.....1839

राँची, दिनांक -28-7-2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


28.7.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

